

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

2022/144

प्रार्थी शेराराम पुत्र जगमाल राम जाति जाट निवासी चक 3 एसपीएम ओडावाली ढाणी तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी.चपूफ, एवं दो गवाह का शपथ पत्र, आई.डी.पुफ, रसीद पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत बंद वसीयत सील्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखवाई जावे।

प्रार्थी व गवाहान मान सिंह पुत्र बलवंत राम एवं संतोष देवी पुत्री शेरा राम पत्नी कालूराम की पहचान अधिवक्ता श्री प्रेमचन्द सेवटा द्वारा की गयी।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सील्ड पैकेट बंद वसीयत को सेफ कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय